

## आवृत्त

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2013

सा.का.नि.607(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ण) विनियमानी, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) तथा पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्संगठन) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 61 (3) के साथ पठित अखिल भारतीय सेक्टर अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिर्वा का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ण पद संख्या का नियतन) विनियमानी, 1955 में आने और संशोधन करने के लिए धरद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

- (1) इस विनियम की भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ण पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमानी, 2013 कहा जा सकेगा।
  - (2) ये विनियम 24.12.2012 को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ण पद संख्या का नियतन) विनियमानी, 1955 की अनुसूची में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक में उसके नीचे आने वाली शक्तिर्वा के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

## "त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार के अधीन वरिष्ठ ह्यूटी पद	36
पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा	1
पुलिस अपर महानिदेशक	1
पुलिस अपर महानिदेशक-सशस्त्र पुलिस	1
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशासन	1
पुलिस महानिरीक्षक-कानून एवं व्यवस्था	1
पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण	1
पुलिस महानिरीक्षक-टीएसआर तथा प्रचालन	1
पुलिस महानिरीक्षक-आसूचना	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(ए.पी.)	2
पुलिस उप-महानिरीक्षक-(मुख्यालय)	1

	पुलिस उप-महानिरीक्षक-(सी.आई.डी)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-(दक्षिणी रेंज)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-(होम गार्ड्स)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-(प्रशिक्षण)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-(उत्तरी क्षेत्र)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-एपी(ओपीएस-I)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-एपी(ओपीएस-II)	1
	पुलिस उप-महानिरीक्षक-ट्रेकिंग(बातायात)	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक-मुख्यालय	1
	पुलिस सहायक महानिरीक्षक-प्रचारन	1
	पुलिस अधीक्षक-जिला (दक्षिणी त्रिपुरा)	1
	पुलिस अधीक्षक-जिला (पश्चिमी त्रिपुरा)	1
	पुलिस अधीक्षक-जिला (उत्तरी त्रिपुरा)	1
	पुलिस अधीक्षक-जिला (डामाई)	1
	पुलिस अधीक्षक-विशेष शाखा	1
	पुलिस अधीक्षक-सतर्कता	1
	पुलिस अधीक्षक-मोबाईल टास्क फोर्स	1
	पुलिस अधीक्षक-सीआईडी	1
	पुलिस अधीक्षक-प्रवर्तन	1
	पुलिस अधीक्षक-सापण	1
	पुलिस अधीक्षक-पुलिस निबंधन	1
	कन्स्टेबल-होम गार्ड्स	1
	प्रिंसीपल-प्रशिक्षण कॉलेज	1
	पुलिस अपर अधीक्षक-विशेष शाखा	1
	पुलिस अपर अधीक्षक-राजीव	1
1	कुल करिष्ठ इम्प्टी पद	36
2	केन्द्रीय प्रतिनिधित्व रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40 प्रतिशत	14
3	राज्य प्रतिनिधित्व रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25 प्रतिशत	9
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5 प्रतिशत	1
5	अवकाश रिजर्व और करिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5 प्रतिशत	5
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (अर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे	20
7	सौची अर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6)	45
	कुल प्राधिकृत संख्या	65

[सं.11052/02/2013-अ.भा.से.-II(क)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी : पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 में संशोधन के परिणामस्वरूप विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के दिनांक 24.12.2012 की अधिसूचना के तहत मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक विशेष संवर्न, भारतीय पुलिस सेवा के एक विशेष संवर्न और भारतीय वन सेवा के एक विशेष संवर्न का गठन किया गया।

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय पुलिस सेवा मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 156 थी।

टिप्पणी (2): प्रमुख विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	1182	03.11.73	9	320 अ	31.03.95
2	928	17.12.76	10	309	16.08.97
3	369	10.03.79	11	740 अ	31.12.97
4	698अ	17.12.81	12	194 अ	20.04.98
5	730	08.12.84	13	430	13.12.03
6	469	27.06.87	14	192 अ	24.03.09
7	446	04.06.88		192 अ	24.03.09
8	124	17.03.88		241 अ	30.03.10